न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/आदेश/28/2019

ग्राम बागियाडा के समस्त ग्रामवासी जरिये प्रतिनिधिगण

1. जसाराम पुत्र हिरारामजी, जाति जाट (जाणी)
2. किरणसिंह पुत्र देवीसिंहजी, जाति राजपुत
3. बंशीलाल पुत्र भुरारामजी, जाति सैन
4. मीठनाथ पुत्र अननाथजी, जाति नाथ
5. ढ़गलाराम पुत्र हापुरामजी जाति जाट (जाखड़)
6. कैलाश भाटी पुत्र शेषारामजी, जाति चौकीदार (उप–सरपंच)

समस्त निवासीगण बागियाड़ा, तहसील रायपुर, जिला पाली

..... अपीलाण्ट्स

सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला पाली

..... रेस्पोडेण्ट

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 06/03/2020

1. उपरोक्त अपील धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत् अपीलार्थी द्वारा आदेश क्रमांक/राजस्व/2018 /488, दिनांक 16.02.2018, जिसे उपखण्ड अधिकारी, रायपुर द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 अनुसार रास्ता अभियान के तहत् ग्राम बागियाड़ा के खसरा नं. 198 गैर मुमकीन गौचर में से रास्ता घोषित करने के आदेश के विरुद्ध इस आशय की पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया।

2. अपीलाण्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि समस्त अपीलाण्ट्स ग्राम बागियाड़ा के निवासी है तथा गांव के सार्वजनिक हित के विरूद्ध अपीलाण्ट्स का कोई हित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहीं है। चूंकि ग्राम बागियाड़ा बड़ा गांव के तथा 400–500 घरों की बस्ती है, इसलिए प्रत्येक ग्रामवासी को अपीलाण्ट के रूप में पक्षकार बनाया जाना संभव नहीं है, इसलिए समस्त ग्रामवासियों की ओर से गांव के सार्वजनिक हितहितार्थ गौचर भूमि के रक्षार्थ उपरोक्त अपील प्रतिनिधि के रूप में उपरोक्त अपील पेश की जा रही है। गैर मुमकीन गौचर ग्राम पंचायत की खातेदारी की होती है और उसका रख–रखाव ग्राम पंचायत ही करती है। ग्राम बागियाड़ा का पंचायत मुख्यालय लिलाम्बा है। उपरोक्त ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय द्वारा उक्त गौचर भूमि के हित हितार्थ जानबूझकर अपीलाण्ट्स एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार निवेदन किये जाने के बाद भी जैर अपील आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा ऐसा लगता है कि सरपंच महोदय जैर अपील आदेश के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलावट कर चुके है, इसलिए जैर अपील आदेश के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु न तो ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया गया है, न ही अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई है। वैसे तो गौचर की मालिक/खातेदार ग्राम पंचायत होती है, राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त ग्राम बागियाड़ा के खसरा नम्बर 198 रकबा 420 बीघा भूमि गैर मुमकीन गौचर के रूप में ग्राम पंचायत की खातेदारी की दर्ज है। उपरोक्त गौचर भूमि का रख–रखाव ग्रामवासी एवं ग्राम पंचायत करते है तथा उपरोक्त गौचर भूमि का उपयोग, उपभोग प्रत्येक ग्रामवासी करता है, समस्त ग्रामवासियों के मवेशियों की उपयोग हेतु ही गौचर भूमि रखी जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार गौचर भूमि को अन्यथा किसी भी उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, न ही किसी प्रकार का आवंटन किया जा सकता है। इस हेतु राजस्थान टिनेंसी एक्ट के तहत् सरकारी नियम 1955 बने हुए है, उनके नियम 4 से 7 के तहत् ही प्रक्रिया के तहत् आवंटन इत्यादि किया जा सकता है। उपरोक्त गौचर भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रत्येक ग्रामवासी को ऐसे आदेश को चुनौति देने का विधिनुसार अधिकार रहता है, इसी अधिकार के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहत् अपील पेश की है। अपीलाण्ट्स का गौचर भूमि के सार्वजनिक हित के विरूद्ध कोई हित नहीं है एवं अपीलाधीन आदेश से प्रथम दृष्टया व्यथित व प्रभावित पक्षकार है, क्योंकि बिना विधि प्रक्रिया अपनाये गौचर भूमि को अपीलाधीन आदेश के द्वारा खुर्द–बुर्द किया जा रहा है, बिना आवश्यकता के भी गौचर भूमि को दो टुकड़ो में बांटकर बीच में से रास्ता निकाला जा रहा है और गौचर भूमि में सरकारी खर्चे से लगाई गई नर्सरी के सैंकड़ो पेड़ पौधो को काट दिया गया है तथा जबरदस्ती सड़क बनाने हेतु आमादा है। जिसके संबंध में अपील पेश की है। अपील पेश करने हेतु ईजाजत नहीं दिये जाने पर संपूर्ण ग्रामवासियों को जो क्षति होगी उसका मूल्यांकन मुद्रां में भी संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.02.2018 को रेस्पोडेन्ट की ओर से एक आवेदन उक्त राज्य सरकार की ओर से परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम बागियाडा खसरा नम्बर 198 रकबा 420 बीघा किस्म गैर मुमकीन गौचर में से 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए 4792 फीट लम्बाई एवं 20 फीट चौड़ाई का कुशालपुरा, आकेली रोड़ से लिलाम्बा सरहद तक रास्ता चालू है और ग्रामवासियों का आवागमन हो रहा है, इसलिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 31 व 132 तथा भू–अभिलेख नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के अन्तर्गत रास्ता दर्ज करने की अनुशंसा करते हुए आवेदन पेश किया, साथ में पटवारी की रिपोर्ट, नक्शा इत्यादि प्रस्तुत किये। कि उपरोक्त आवेदन पर बिना किसी को नोटिस जारी किये, उपरोक्त गौचर भूमि के खातेदार ग्राम पंचायत को बिना नोटिस जारी किये, ग्रामवासियों को बिना सुनवाई का अवसर दिये सीधे ही उसी दिन जैर अपील आदेश पारित करते हुए रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। उपरोक्त खसरा नम्बर 198 गौचर भूमि राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत लिलाम्बा के नाम की खातेदारी दर्ज है। विधिनुसार बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऐसा आदेश पारित करने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य है। विधिनुसार प्रभावित खातेदार को बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सुनवाई का अवसर प्रदान किये, उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, इस कारण से अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय बिना सुनवाई, साक्ष्य, सबुत का अवसर दिये ही पारित किया है, जो एबईनिशियों वाईड होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट और उनके अधीनस्थ पटवारी एवं आर.आई की रिपोर्ट पर आँख मुदकर विश्वास कर बिना खातेदार ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों को नोटिस दिये सीधे ही एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया अवैध होने से अपास्त योग्य है। उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बर 198 की भूमि को राजकीय बताया है, जबकि उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत के खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, ऐसी स्थिति मे राजकीय भूमि नहीं होते हुए भी अवैध रूप से राजकीय भूमि बताते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो आदेश अपास्त योग्य है। जैर अपील आदेश द्वारा जो रास्ता देने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है, वास्तव में उस अनुसार न तो कभी मौके पर रास्ता चालू रहा है, न ही उपयोग में रहा है, न ही उसकी आवश्यकता है। उपरोक्त रास्ता दुसरे गांव के व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने के लिए देने बाबत् आदेश पारित किया है, जबकि बताया जा रहा कि चौकीदारो की ढाणी हेतु रास्ता दिया गया है, जबकि चौकीदारों की ढांणी हेतु रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए अन्य कई रास्ते मौके पर उपलब्ध हैं। उक्त तथाकथित चालू बताया जा रहा रास्ता कभी भी मौके पर चालू नहीं रहा है। तत्समय का सेटेलाईट नक्शा अवलोकनार्थ पेश किया गया है। अपीलाण्ट संख्या 6 वर्तमान में उप–सरपंच है। अपीलाण्ट संख्या 6 के पूर्व में कुछ खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाकर इस आशय के आवेदन पेश किये थे कि रास्ते की विधिवत् आवश्यकता है और रास्ता उपयोग में है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई रास्ता न तो चालू है न ही उपयोग में है, इस संबंध में खण्डन के रूप में भी उक्त अपीलाण्ट संख्या 6 ने पुनः संबंधित विभाग में लिखकर आवेदन पेश किया था। ग्रामवासियों द्वारा इस संबंध में बार बार ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय को निवेदन करने पर उनके द्वारा भी ग्रामवासियों के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

साथ में आवेदन रेस्पोडेन्ट को उक्त रास्ता निरस्त करने हेतु पेश किया गया था, और ऐसा बताया कि ऐसा कोई रास्ता न तो उपयोग में है, न ही आवश्यकता है तथा गौचर भूमि में से बिना प्रस्ताव व सहमति के जो रास्ता दर्ज किया गया, निरस्त किया जावें, लेकिन बाद में कुछ लाभार्थी व्यक्तियों द्वारा सरपंच महोदय को दबाव में ले लिया गया, इस कारण उनके द्वारा विधिक कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया है; इसलिए जन–प्रतिनिधि के रूप में उपसरपंच के रूप में अपीलाण्ट संख्या 6 द्वारा अपील गांव के हितार्थ पेश की है। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 2.8.19 को हुई जब अन्य ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि गौचर में से जबरदस्ती रास्ता निकाला रहा है इस हेतु दिनांक 27.8.19 को नकलें प्राप्त हुई, जिस पर अपील पेश की गई है। इससे पूर्व जानकारी नहीं थी, साथ ही अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए अपील को अंदर मयाद शुमार किया जाना और अपील प्रस्तुति की ईजाजत दिया जाना न्यायोचित्त है। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि गौचर भूमि राजकीय भूमि नहीं होकर के ग्राम पंचायत की खातेदारी भूमि है, फिर भी ग्राम पंचायत को नोटिस दिए बिना, पक्षकार बनाए बिना आदेश पारित किया गया है, जो अवैध है। केवल सरपंच के मौका फर्द पर हस्ताक्षर होने मात्र से ग्राम पंचायत की सहमति नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि सरपंच अपने आप में ग्राम पंचायत नहीं है। ग्राम पंचायत का अर्थ विधिवत् रूप से ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव को ही विधिक रूप से ग्राम पंचायत की सहमति मानी जा सकती है। इस संबंध में 1984 आर.आर.डी. पेज 174 का अवलोकन फरमावें। इसके अलावा गौचर भूमि के संबंध में गांव का कोई भी व्यक्ति विधिक कार्यवाही अपील इत्यादि कर सकता है इस संबंध में 2011(2) आर.एल.डब्ल्यू. पेज 1389 एस.सी., 2017(1) डी.एन. जे. पेज 147, 2018(1) आर.आर.टी. पेज 271, 2003(1) आर.आर.टी. पेज 47, 2002 आर.आर.डी. पेज 485, 1999 आर.आर.डी. पेज 491 न्यायिक दृष्टांत पेश किए और निवेदन किया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में अपीलाधीन आदेश किसी भी रूप से बहाल

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के आधार पर पारित किया है। उक्त परिपत्र अनुसार जिस व्यक्ति की खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया जाना है, उसे सम्मन के जरिए तलब किया जाएगा। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में भूमि ग्राम पंचायत के खातेदारी की गौचर भूमि है, जिस बाबत ग्राम पंचायत को न तो पक्षकार बनाया गया है, न ही नोटिस दिया गया है। उपरोक्त अपील का रेस्पोडेण्ट की ओर से जवाब मय अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश से संबंधित संपूर्ण पत्रावली संबंधित दस्तोवजात् पेश किए हैं, उक्त जवाब में बिन्दू संख्या 9 में यह स्वीकार किया है कि मौका निरीक्षण में पाया गया कि वास्तव में उक्त गौचर भूमि में से जहां रास्ता दिया गया है, वहां रास्ता नहीं चल रहा है अर्थात् मौके पर रास्ता नहीं है। इसी तरह बिन्दू संख्या 3 व 4 में उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत की खातेदारी होना स्वीकार किया है। यह भी स्वीकार किया है कि नया रास्ता बनाने के लिए मौके पर 18 खेजड़ी के छोटे–बड़े वृक्ष, देशी बबुल के छोटे–बड़े 4 वृक्ष, अंग्रेजी बबुल के 6 छोटे–बड़े वृक्ष, कुमटिया का 1 वृक्ष काटा गया है, जिसको जब्त करना बताया है। इस प्रकार से रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् से भी अपीलार्थी के तथ्यों की ताईद होती है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण पत्रावली संबंधित जो दस्तावेज पेश हुए हैं, उसमें भी उपरोक्त भूमि को राजकीय भूमि बताते हुए आदेश पारित किया है, जबकि राजकीय भूमि नहीं होकर खातेदारी भूमि है, इसलिए अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

3. सरकारी पैरोकार की ओर से निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिवत् पारित किया है, साथ ही यह भी निवेदन किया रेस्पोडेण्ट की ओर से जवाब मय दस्तावेज पेश हुए हैं और जवाब अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्यगण ही ट्रस्टी के रूप में कानूनी कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। इसके अलावा खसरा नंबर 198/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, जो रास्ता के लिए अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश द्वारा दिया गया है, वह ग्राम पंचायत के खाते में ही दर्ज रहेगी, केवल किस्म गौचर के स्थान पर रास्ता दर्ज की जाएगी। इसके अलावा मौका फर्द पर सरपंच के हस्ताक्षर होना बताया है, साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि तहसीलदार रायपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार यह सही है कि जिस स्थान पर रास्ता दिया गया है, वहां पर रास्ता मौके पर वास्तव में नहीं चल रहा है। जहां रास्ता चल रहा है, वहां का प्रस्ताव नहीं भेजा है। यह भी स्वीकार किया है कि अपीलाधीन आदेश की ओट में नया रास्ता निकालने हेतु गौचर भूमि में खड़े वृक्षों को काटा गया है, जिसे पटवारी एवं आर. आई. द्वारा जब्त किए गए हैं इसलिए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम मयाद का बिन्दू और अपील प्रस्तुति की ईजाजत के प्रार्थना–पत्र को निर्णित किया जाना उचित है। इस संबंध में अपीलाण्ट द्वारा दोनों ही आवेदन मय शपथ–पत्र प्रस्तुत हुए हैं, जिसका रेस्पोडेण्ट की ओर से लिखित में खण्डन नहीं हुआ है, न ही खण्डन में शपथ–पत्र पेश हुए हैं। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट भी पक्षकार नहीं थे एवं ग्राम पंचायत को भी पक्षकार नहीं बनाया गया था ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की गौचर भूमि के संबंध में जहां ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो गांव का कोई भी व्यक्ति इस संबंध में कार्यवाही करने की अधिकारिता रखता है। इस संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से हम सहमत है। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा न तो अपील की गई है, न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति पेश की गई है ऐसी स्थिति में दोनों ही आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त है इसलिए अपील अंदर मयाद शुमार की जाकर अपील प्रस्तुति की ईजाजत प्रदान की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

5. जहां तक मैरिट का प्रश्न है यह स्वीकृत स्थिति है कि उक्त ग्राम बागीयाड़ा पटवार हल्का लिलाम्बा के खसरा नंबर 198 रकबा 420

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बीघा किस्म गैरमुमकीन गौचर की भूमि ग्राम पंचायत लिलाम्बा के खातेदारी की है। इस संबंध में अपीलाण्ट की ओर से अपील के साथ जमाबंदी पेश हुई है इस प्रकार से उपरोक्त भूमि गौचर होना और ग्राम पंचायत की खातेदारी होना साबित है। उक्त भूमि राजकीय सिवाय चक होने अथवा सरकारी भूमि नहीं है। जहां तक परिपत्र दिनांक 10.8.16 का प्रश्न है, जिसे रास्ता ज्ञान के संबंध में राजस्व ग्रुप–6 द्वारा जारी किया गया है, उक्त परिपत्र की प्रथम समस्या के संबंध में जो समाधान परिपत्र में बताया गया है, वह उस अनुसार जो स्थायी रास्ते मौके पर आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध है, वो चाहे राजकीय भूमि या निजी भूमियों में चालू है, उस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किए जाने पर संबंधित पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किए गए दौरे की रिपोर्ट तथा पी–31 की प्रति सम्मन द्वारा दी जाएगी और ऐसा आवेदन तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त परिपत्र की पालना में उक्त भूमि के खातेदार ग्राम पंचायत लिलाम्बा को न तो सम्मन के जरिए सूचना दी गई है, न ही पी–31 की प्रति और नियम 58(3) के अनुसार किए गए दौरे की रिपोर्ट की प्रति दी गई है। विधिक रूप से ग्राम पंचायत लिलाम्बा को सुना जाना आवश्यक था, लेकिन न तो पक्षकार बनाया, न ही सुना गया। अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क कि सरपंच अपने आप में ग्राम पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत का अर्थ संपूर्ण कोरम द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव होता है इस संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1984 आर.आर.डी. पेज 174 का भी अवलोकन किया, जिसमे भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि सरपंच अथवा उपसरपंच अपने आप में ग्राम पंचायत नहीं है, बल्कि संपूर्ण कोरम द्वारा पारित प्रस्ताव ही विधिक प्रस्ताव माना जाता है। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में रास्ता दिए जाने हेतु ग्राम पंचायत लिलाम्बा द्वारा बैठक कार्यवाही में कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो और उसकी अनुपालना में कोई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब और जवाब के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रतियां पेश हुई हैं, उसमें नहीं हैं, न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

इस बाबत रेस्पोडेण्ट का कोई कथन है। इसके अलावा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् से यह भी साबित है कि खसरा नंबर 198 में से जिस जगह पर रास्ता दिया गया है, उस स्थान पर मौके पर कोई रास्ता पूर्व में अस्तित्व में नहीं रहा है, न ही वर्तमान में वास्तव में रास्ता है तथा वहां पर अर्थात् गौचर भूमि पर काफी पेड़–पौधे खड़े है और उसमें से काफी पेड़–पौधों को नया रास्ता बनाने के लिए जबरदस्ती काटा गया है, जिसे रेस्पोडेण्ट ने जरिए फर्द जब्त किए हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि मौके पर कोई स्थायी रास्ता अस्तित्व में पूर्व में नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है। रेस्पोडेण्ट की स्पष्टतः स्वीकारोक्ति के बाद इस संबंध में कुछ भी शेष नहीं रहता है, फिर भी गौचर भूमि की किस्म बदलने का विधिक रूप से कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत जगपालसिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं गुलाब कोठारी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य दृष्टांतों में यह स्पष्ट अभिनिर्धारित किया है कि गौचर भूमि की किस्म न तो बदली जा सकती है, न ही उसे अन्य किसी को आवंटन की जा सकती है। मौका फर्द पर सरपंच के हस्ताक्षर होने मात्र से ग्राम पंचायत की सहमति नहीं मानी जा सकती है। रेस्पोडेण्ट संख्या छः स्वयं उक्त ग्राम पंचायत को उपसरंपच है। खसरा नंबर 198 रकबा 420 बीघा किस्म गैरमुमकीन गौचर में से खसरा नंबर 198/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के रूप में नया खसरा बनाकर के उसकी किस्म गैरमुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज करने बाबत और राजस्व नक्शे में तरमीम करने बाबत जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिया है, वह विधि के स्पष्ट रूप से विपरित है, साथ ही मौके के भी प्रतिकूल है, क्योंकि मौके पर ऐसा रास्ता का अस्तित्व होने से रेस्पोडेण्ट भूमिधारी स्वयं ने प्रस्तुत जवाब में इंकार किया है इस कारण से अपील स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.18 आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/488, जिसे उपखण्ड अधिकारी, रायपुर द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.8.2016

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अनुसार रास्ता अभियान के तहत् ग्राम बागीयाड़ा के खसरा नं. 198 गैर मुमकीन गौचर रकबा 420 बीघा में से नया खसरा नंबर 198/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा का बनाकर उसकी किस्म गैरमुमकीन रास्ता दर्ज करने बाबत पारित आदेश अपास्त किया जाता है। रेस्पोडेण्ट को निर्देश दिया जाता है कि राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त भूमि का पूर्वानुसार इंद्राज किया जावें। माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

यह निर्णय आज दिनांक 06/03/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)